CBI to the effect that the brief case in which he was carrying several valuable documents and evidence obtained from abroad on the Rajiv Gandhi assassination case was snatched from him;

- (b) whether the same DIG (CBI) after the London incident was for mally inducted into the Special in. vestigating Team (SIT); and
  - (c) if so, the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL. PUBLIC **GRIEVANCES** AND PEN WITH SIONS ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY **AFFAIRS** (SHRI MATI MARGARET ALVA): (a) No, Sir. An incident involving theift of a brief case belonging to a DIG of CBI who had gone to London for a meeting with officials of Interpol in connection with matters not pertain ing to the Rajiv Gandhi case was re ported to the Metropolitan Police London. It has been confirmed that no paper pertaining to the Rajiv Gandhi Assassination case was in the brief case.

(b) and (c) The officer referred to above, has been an active member of the S.I.T. right from the initial stages of its investigation.

## केन्द्रीय जांच स्पूरी द्वारा केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के विरुद्ध मामले दर्ज किए जाना

3048 श्री दिलीग सिंह ज्देव: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1989-90 से लेकर वर्ष 1992-93 त भ्राष्ट्राचार निवारण भ्रधि नियम के भ्रन्तर्गत केन्द्रीय जांच ब्य्रो द्वारा केन्द्रीय सरकार के कितने राजपितत भ्रीर ग्रराजपितत श्रधिकारियों के विरूज मामले दर्ज किये गये थे और उक्त भ्रवित में हर्ज किये गये मामलों और उससे

पहले दर्ज किये गये मामलों में से, कितने मामलों के संबंध में निर्णय हो चुका है;

- (ख) कितने श्रधिकार दंडित किये गये श्रार कितने श्रधिकारी निर्दोष पाये गये हैं श्रौर दिसम्बर, 1992 की स्थिति के अनुसार, कितने मामले विचाराधीन थे; श्रौर
- (ग) उक्त अधिकारियों में से अखिल भारतीय सेवा के कितने अधिकारी दोषी पाये गये और दंडित किये गये हैं और उन्होंने क्या-क्या अपराध किये थे?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन भंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्रीमती मार्ग्रेट आह्वा): (क) (i) वर्ष 1989 से जनवरी, 1993 की ग्रवधि के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने भ्रष्टाचार निवारण ग्राधिनियम के ग्रन्तर्गत 1,343 मामले दर्जिक्ये। इनमें से 615 मामले राजपविद अधिकारियों तथा शेष 728 मामले बाराजवित ग्रधिकारियों से संबंधित थे । (ii) उपर्युक्त 1,343 मामलों में से 1,085 मामलों में जाच कार्य पूरा हो चुका है : इनमें से 440 मामले मुकदमें के लिये न्यायालय में भेजे गये, 549 मामले संबंधित विभागीय प्राधिकारियों को नियमित विभागीय कार्रवाई के लिये भेजे गये तथा 40 मामलों में संबंधित विभागों को यथा-पेक्षित उचित कार्रवाई के लिये रिपोर्ट भेजी गयी । 56 मामले बन्द कर दिये गये या उनका निषटान हो गया ।

- (ख) (i) मुकदमें के लिये भेजे 440 मामलों में से 8 मामले अभी तक निम्न-लिखित परिणामों के साथ निपटा दिये गये हैं:-
- (1) दोषी पाये गये ग्रधिकारी
- (2) दोष मुक्त ग्रधिकारी -2

4

(3) जिनकी मृत्यु मुकदमें के दौरान हुई -1 (ii) विभागीय कार्यवाही के लिये भेजे 549 मामलों में से ऋभी तक 73 मामलों पर निर्णय लिया गया हैं:—

- (1) दंडित ग्रधिकारी -77
   (2) दोषमुक्त ग्रधिकारी -32
- (iii) 31-12-92 की स्थिति के ग्रनुसार 908 मामने विचारण नियमित विभागीय कार्यवाही के लिये लंबित थे।
- (ग) उपर्युक्त दंडित कर्मचारियौँ में ग्रांखिल भारतीय सेवा का कोई भी ग्राधि-कारी नहीं था।

भारत सरकार में श्रनुसूचित जातियों/ श्रनुसूचित जनजातियों के श्रधिकारी

3049. श्री मलवन्द मीगा:
श्री मुहस्मद ममूद खान:
क्या प्रधान मंत्री यह बताने की
कृपा करेंगे कि:

- (क) 31 दिसम्बर, 1992 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार के अधीन विभिन्न स्तरों पर अनुसूचित जातियों के कितने अधिकारी कार्यरत थे;
- (ख) क्या जाली जाति प्रमाण-पत्न के ग्राधार पर सामान्य वर्गों के व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है ;
- (ग) क्या ऐसी नियुक्तियों के बारे में कोई शिकायतें मिली हें, यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और
- (घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कामिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार

(श्रीमती मार्गेट आल्वा) : (क) 1-1-92 की स्थिति के श्रनुसार मुचना निम्न प्रकार हें:--

	ग्रन्सूचित	ग्रनुसूचित
	जाति -	जनजाति
समूह क	6331	1914
समूह ख	11399	2349
समूह ग	368494	73739
समूह घ	242495	78375
सफोई कर्मचारी	90399	4765

1-1-93 (31-12-92) की स्थिति के अनुसार सूचना ग्रभी तक समेकित नहीं की गई है ।

(ख) से (घ) सामान्यतः जाति प्रमाण-पद्यों से संबंधित सूचना तथा त्तविषयक शिकायतें विभिन्न नियोक्ता प्राधिकारी प्राप्त करते हैं तथा उन पर कार्रवाई करते हैं। अनुसुचित जाति/अन-मूचित जनजातियों के दावों के सत्यापन के संबंध में दिस्तृत ग्रन्देश नियोक्ता प्राधिकारियों को पहले ही जारी किये जा चुके हैं। सब प्राधिकारियों से यह भ्रपेक्षा की जाती है कि वे क्राप्रभिक निय्कित के समय तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये भ्रारक्षित रिक्टित पर पदोन्नति के समय अनुसूचित जाति/अनु-सूचित जनजाति के जाति स्तर का सत्यापन कर लें । यदि कोई नियोक्ता प्राधिकारी किसी कारणवश उस स्थान के जहां पर उम्मीदवार ग्रथवा उसका परिवार सामान्यतः रहता है, जिला मजिस्जदेट से उम्भीदवार के दावे को सत्यापित करना ग्रावश्यक समझता है तो कर सकता है। यदि किसी मा ले विशेष में नियुक्ति के पश्चात सत्यापन से यह पता चलता है कि उम्मीदवारों का दावा झुठा था, तो संगत नियमों/म्रादेशों के मनुसार उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

जैसा कि झूठे जोति प्रमाण-पत्नों के उदाहरण संरकार के सप्मने आये, इसलिये कामिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 24-4-90 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/6/88—स्था० (अनु०जा०) में एक संशोधित प्रक्रिया निर्धारित की गई। इस कार्यालय ज्ञापन की एक प्रति विवरण

1 1 2 1